दिनांक	आदेश
27-2-18	पत्रावली पेश हुई वकालतन कारिन्दे उपस्थित अब तरमीम कागज नहीं की जा सकी। आइन्दा पत्रावली वास्ते तरमीम दिनांक 13-3-18 को पेश हो [हस्ताक्षर]
13-3-18	पत्रावली पेश हुई वकालतन कारिन्दे उपस्थित तरमीम कागज नहीं की जा सकी। आइन्दा पत्रावली वास्ते तरमीम दिनांक 26-3-18 को पेश हो [हस्ताक्षर]
26-3-18	आज पीठासीन अधिकारी के दौरे/अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 8-5-18 को पेश है। [हस्ताक्षर] रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible]
	पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प पंचायत खेड़ागामी में दिनांक 16-5-18 पेश हो। पक्षकारान को नोटिस जारी किये जावे। [हस्ताक्षर] रीडर आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी [illegible] जिला-[illegible]
~~16-5-18~~	पत्रावली न्याय आपके द्वार अभियान प्रस्तुत हुई वादी एवं प्रतिवादी अनुपस्थित [illegible] वास्ते आगामी सुनवाई हेतु 11-7-18 को न्यायालय [illegible] [हस्ताक्षर] आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी
16-5-18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प खेड़ागामी में आज पेश हुई [illegible] राजस्व लोक अदालत में बटवारे के वाद पैमाइश के आधार पर निस्तारण हेतु का निवेदन किया व [illegible] का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है [illegible] बटवारे के आधार पर स्वीकार किया जाता है व [illegible] फैसला [illegible] बाद तामील तकमील के दाखिल दफ्तर हो [हस्ताक्षर]

निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प खेड़ला जागीर
द्वारा श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां

प्रकरण संख्याः— 58/2016
दायरा दिनांक :— 26.08.2016
निर्णय दिनांक :— 16.05.2018

उनवान

बलराम आत्मज घासी जाति बंजारा पेशा काशतकारी निवासी ग्राम मिसरोली तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां।

बनाम

1. मो.यूनूस
2. बशीर अहमद समस्त आत्मज अब्दुल हकीम खॉ जाति समस्त मुसलमान निवासी ग्राम चेनपुरिया तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां

वाद अन्तर्गत धारा 188,207,89,91 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :— 16.05.2018

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188,207,89,91 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 आर.टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वादी के खाते व कब्जे काश्त की आराजी ग्राम मिसरोली तहसील छीपाबड़ौद पटवार क्षैत्र खेड़ला जागीर तहसील छीपाबड़ौद मे स्थित है, जो कि वर्तमान जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड संवत 2070—2073 मे खाता नंबर 69/67 खसरा नंबर 56 रकबा चार बीघा एक बिस्वा किस्म बारानी तृतीय लगानी दो रूपया तीन पैसा है। उपरोक्त कृषि आराजीयात वादी बलराम के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी है, जिसमें वादी ने पत्थरो का कोट कर रखा है, वादी का पत्थरों का कोट उपरोक्त कृषि आराजीयात के चारो तरफ है, जो कि पॉच फीट पत्थरो का कोट है। वादी व उसके परिवारजन उपरोक्त कृषि भूमि से अपने व परिवार का पालना पोषण करते है। प्रतिवादीगण सगे भाई है, जिनकी बदनीयती वादी के खाते व कब्जे काश्त की आराजी पर कुताकत के बल पर कब्जा करने की है। यदि प्रतिवादीगण अपने कुमकसद मे कामयाब हो गये तो वादी व उसका परिवार बर्बाद हो जावेगा, उन्हे अपने ही खाते व कब्जे काश्त की आराजी से वंचित होकर मुकदमेबाजी मे वह बर्बाद हो जावेगा। प्रतिवादीगण काफी पैसे वाले व अतिक्रमी प्रकृति के है। वाद कारण दिनांक 20.04.2016 को तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण ने वादी से सम्पर्क किया और वादी से कहा कि सब जगह हमारी चलती है, हम बहुत जल्दी तेरी जमीन पर कुताकत के बल पर जबरन कब्जा काश्त करेगें, यदि तेने विरोध किया तो तेरे हाथ पैर तोड देगे, तुझे मरवा देंगे। अतः यह तारीख ही इस वाद पत्र की बिनाय मुखास्मत करार की जाती है, उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा पेश हुआ। वादी ने अपने पक्ष के समर्थन मे नकल जमाबन्दी ग्राम मिसरोली सम्वत् 2070—73 खाता संख्या 69, नकल नक्शा ट्रेस, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2070—71 पेश की गई।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबडौद जिला बारा

Scanned by CamScanner

प्रकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प खेड़ला जागीर पर रखा गया। वादी राजस्व लोक अदालत केम्प खेड़ला जागीर पर स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर विवादित आराजी की पैमाईश करने का निवेदन किया है। जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति नही होना स्वीकार किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित आराजी वाके ग्राम खेड़ला जागीर तहसील छीपाबड़ौद के खसरा नंबर 56 रकबा 4.01 बीघा वादी बलराम पुत्र घासीलाल कौम बंजारा सा.देह के खातेदारी मे दर्ज होना पाया जाता है। इससे यह साबित होता है, कि विवादित आराजी वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त मे है। वादी एवं प्रतिवादीगण आपसी सहमति से राजस्व लोक अदालत मे प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर विवादित आराजी की पैमाईश करवाने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर विवादित आराजी की पैमाईश तहसीलदार छीपाबड़ौद से करवाया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प खेड़ला जागीर पर आपसी सहमति से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम मिसरोली तहसील छीपाबड़ौद के खसरा नंबर 56 रकबा 4.01 बीघा भूमि की पैमाईश करने के आदेश तहसीलदार छीपाबड़ौद को दिये जाते है। वाद पैमाईश वादी एवं प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है, कि एक दुसरे की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी मे किसी प्रकार की दखल अंदाजी नही करे। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हीरालाल वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 58/2016	धारा अन्तर्गत 188,207,88,91 RTA	निर्णय दिनांक : 16.05.2018
समक्ष : श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां		
उपस्थिति : अभिभाषक वादीः– श्री अनिल कुमार जैन	अभिभाषक प्रतिवादीः– श्री रामेश्वर गोयल	

वाद शीर्षक

उनवान

बलराम आत्मज घासी जाति बंजारा पेशा काशतकारी निवासी ग्राम मिसरोली तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां।

बनाम

1. मो.यूनूस
2. बशीर अहमद समस्त आत्मज अब्दुल हकीम खॉ जाति समस्त मुसलमान निवासी ग्राम चेनपुरिया तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेषित किया जाता है और तद्नुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प खेड़ला जागीर पर आपसी सहमति से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम मिसरोली तहसील छीपाबड़ाद के खसरा नंबर 56 रकबा 4.01 बीघा भूमि की पैमाईश करने के आदेश तहसीलदार छीपाबड़ौद को दिये जाते है। वाद पैमाईश वादी एवं प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है, कि एक दुसरे की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी मे किसी प्रकार की दखल अंदाजी नही करे।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक **16.05.2018** को निर्गत किया गया।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

		व्ययानुतोष	
		वादी	प्रतिवादी
क्र.सं.	व्यय मद		
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Scanned by CamScanner